न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

ठीसीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना, आर.ए.एस.

ाद संख्या 59/दावा /2013

जाकिर हुसैन आत्मज श्री पीर मोहम्मद बालिग जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

–वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बून्दी राज0

2–राजस्थान राज्य जये तहसीलदार साहब तालेडा, जिला बून्दी राज0

3–शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा डाबी जिला बून्दी राज0

–प्रतिवादीगण

वाद–अधिकार घोषणा कृषि भूमि

उपस्थित :–

1– श्री बृजमोहन गौतम अधिवक्ता वादी

2– पेरोकार सरकार राज्य की ओर से।

दिनांक :– 04.02.2019

– निर्णय :–

1– वादीगण की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा का दिनांक 01.04.2013 को प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया।

2– वाद पत्र के संक्षिप्त : तथ्य इस प्रकार से है कि खतौनी जमाबन्दी सं. 268 की आराजी खसरा संख्या 664/1396 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त कृषि भूमि वर्तमान समय में बहादूर सिंह वल्द गोविन्द सिंह कौम राजपूत की गैरखातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार खतोनी सं. 348 की आराजी ख. सं. 664/1270 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, ख.सं. 1585/664 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त कृषि भूमि वर्तमान समय में हरि सिंह वल्द गोविन्द सिंह कौम राजपूत की गैरखातेदारी में दर्ज है। खतौनी जमाबन्दी सं. 241 की आराजी खसरा संख्या 1584/664 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त कृषि भूमि वर्तमान समय में धन सिंह वल्द गोविन्द सिंह कौम राजपूत की गैरखातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमियो की रोडा अधिनियम में बैंक ऑफ बडौदा शाखा डाबी द्वारा कार्यवाही की गई तथा निलामी की कार्यवाही की गई। वादी को मिसल सं. 53/97 बउनवान बैंक ऑफ बडौदा शाखा डाबी बनाम बहादूर सिंह, हरिसिंह, धनसिंह पिसरान गोविन्द सिंह जाति राजपूत को वसूली प्रकरण में बोली दिनांक 17.06.1996 को लगाई गई। बोली के समय वादी ने निर्धारित 1 लाख रूपये की राशि बैंक ऑफ बडौदा शाखा डाबी में रसीद सं. 7786 से जमा करादी व कुल बोली 4,00,000/–रू0 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बून्दी द्वारा दिनांक 26.10.1998 को स्वीकार की गई।

Scanned by CamScanner

स्वीकार के मुताबिक 4,00,000/–रू0 जमा करा दिये गये। तब से वादी का कब्जा चला आ रहा है। अन्त में प्रार्थना की गई की वादपत्र के चरण क्रम 1,2,3 में वर्णित कृषि भूमि को वादी की खातेदारी में दर्ज किया जावे।

3–वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें वर्णित किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि ग्राम डाबी की है जो खनन संभावित क्षैत्र है जिस पर खातेदारी देने पर रोक है। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद निरस्त फरमाने की कृपा करे।

4– वाद पत्र व जवाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात् इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न विवाधक कायम किये गयें –

(i) आया वादी विवादित आराजी के पूर्व खातेदारो का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करवा कर स्वयं का नाम अंकन करवाने का अधिकारी है।

–वादी

(ii) आया वादी विवादित आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

–वादी

(iii) आया विवादित आराजी वादी को आवंटित नही होने से एवं बैंक निलामी में खरीदी होने के कारण वादी वाद खारिज होने योग्य है।

–प्रतिवादी

(iv) अनुतोष।

5– वादीगण की ओर से जाकिर हुसैन पी.डब्लू –1 को परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये जिनमें प्रदर्श –1 जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075, प्रदर्श – 2 जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075, प्रदर्श – 3 जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075, प्रदर्श – 4 मौका रिपोर्ट, प्रदर्श–5 रजिस्टर्ड रसीद, प्रदर्श–6 रजिस्टर्ड नोटिस, प्रदर्श–7 आर्डरशीट दिनांक 26.10.1998, प्रदर्श–8 तहसीलदार बून्दी का पत्र, प्रदर्श–9 बैंक ऑफ बडौदा का पत्र, प्रदर्श–10 व 11 कुर्की उदघोषणा का पत्र, प्रदर्श–12 कार्यवाही कुर्की अचल सम्पति कृषि भूमि, प्रदर्श–13 लगायत 15 विक्रय की उदघोषणा, प्रदर्श–16 भू–अभिलेख निरीक्षक डाबी का पत्र, प्रदर्श–17 फर्द कार्यवाही निलामी बोली, प्रदर्श–18 कार्या. उपपंजीयक बून्दी का पत्र, प्रदर्श–19 कार्या. उपखण्ड अधिकारी का पत्र, प्रदर्श–20 कार्या. तहसीलदार बून्दी का पत्र, प्रदर्श–21 कार्या. वृत डाबी का पत्र, प्रदर्श–22 कब्जा रिपोर्ट मौका ग्राम डाबी है।

6– हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिनका विवचेन एवं विश्लेषण नियत विवाधको के क्रम में किया जा रहा है :–

विवाधक संख्या– 1

7– विवाधक संख्या 1 वादी को साबित करना था। वादी के द्वारा वाद वर्णित भूमि को जरिये निलामी खरीद किया गया था तथा मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त तथ्य को वादी ने मौखिक व दस्तावेजी

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner

, प्रदर्श सं. 1 लगायत 22 से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया है। नामांतकरण संख्या 1216 दिनांक .07.2015 से निलामी विक्रय से वादी गैर खातेदार दर्ज किया जा चुका है ऐसीस्थिति में पूर्व खातेदारो का वाद वर्णित कृषि भूमि में कोई अधिकार शेष नही बचा है अतः उक्त विवाधक वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाधक संख्या – 2

8– विवाधक संख्या 2 वादी को साबित करना था। विवाधक संख्या 1 को वादी के पक्ष में तय किया जा चुका है ऐसी स्थिति में उक्त विवाधक का पृथक से विवेचन व विशलेषण नही किया जाकर विवाधक सं. 1 का विवेचन व विशलेषण ही उक्त विवाधक सं. 2 का निष्कर्ष है।

विवाधक संख्या–3

9– यह विवाधक प्रतिवादी को साबित करना था परन्तु प्रतिवादी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया तथा ऐसा कोई कानूनी तर्क पेश नही किया गया जिससे यह साबित होता हो कि नीलामी में खरीदी गई भूमि पर अधिकार सृजित नही होता हो। इस प्रकार प्रतिवादी उक्त विवाधक को साबित करने में असफल रहा है इस कारण यह विवाधक प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

अनुतोष –

10– जैसा की विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 के निष्कर्षो से हमारे सामने यह स्थिती आती है कि वादी वाद वर्णित कृषि भूमि पर निलामी के द्वारा खरीद किये जाने के आधार पर काबिज काश्त है जो कि एक वैध अभिधारी की हैसियत से काबिज काश्त है। मौका रिपोर्ट से भी प्रमाणित है कि मौके पर वादी का ही कब्जा है। इस प्रकार वादी वाद वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप वादी का यह वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित कृषि भूमि खतौनी जमाबन्दी सं. 268 की आराजी खसरा संख्या 664/1396 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, इसी प्रकार खतोनी सं. 348 की आराजी ख. सं. 664/1270 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, ख.सं. 1585/664 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खतौनी जमाबन्दी सं. 241 की आराजी खसरा संख्या 1584/664 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादी को उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में नियमानुसार शुल्क जमा करके नाम अमल दरामद करे।

वाद व्यय पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

संशोधित निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/2/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा
जिला बून्दी

उप खण्ड अधिकारी तालेडा जिला बूंदी (राज.)

Scanned by CamScanner